191

164

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-JH14473710069411R
Certificate Issued Date	:	12-Feb-2019 12:05 PM
Account Reference	:	GOVACC (GV)/ jhsrogv07/ DEOGHAR/ JH-DG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-JHJHSROGV0718741193958345R
Purchased by	:	NANDAN KUMAR
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	SALE DEED
Consideration Price (Rs.)	:	10,60,000 (Ten Lakh Sixty Thousand only)
First Party	:	KALPANA DEVI
Second Party	:	NANDAN KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	NANDAN KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred only)

-----------------------------Please write or type below this line-----------------------------

T-11 20/01/19

निबंधन अधिनियम........21................के अधीन Sale 10,60,000/- P.S. Kundi Stamp 42500/-
और छोटानागपुर/संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की
धारा..........................के अधीन मान्य है और Fee Paid Rs. -31800- Age 3.21 Dec
इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूची A(1) के
खण्ड........23.......के अधीन यथोचित स्टाम्प सहित
(या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

20.2.19

निबंधन पदाधिकारी

TQ 0008136565

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

3·213×329478
10,58,612
or
10,60,000 —

42500

बिक्रय पत्र

बिक्रेता :—श्रीमती कल्पना देवी, पति श्री संजय प्रसाद यादव, जाति यादव, पेशा गृहस्वामीनी व व्यवसाय, साकिन बड़ीढ़ाका, थाना बांका, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला बांका, राज्य—बिहार, राष्ट्रीयता—भारतीय, वजरिये आम मोख्तार श्री मनोज कुमार क्रान्ति, पिता सिकन्दर यादव, जाति यादव, पेशा व्यवसाय, साकिन ग्राम रजौन, पत्रालय व थाना रजौन, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला बांका, राज्य—बिहार, राष्ट्रीयता—भारतीय, जो दिनांक 02/11/2018 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता आम मोख्तार नामा दलील पुस्तक संख्या IV, जिल्द संख्या 12, पृष्ठ संख्या 399 से 542 में निबंधित जिसकी सिलसिलेवार संख्या 1115, दस्तावेज संख्या 115 वर्ष 2018 ईस्वी के द्वारा सक्षम हैं। **आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।**

आम मोख्तार नामा दलील की छायाप्रति संलग्न।

न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार
पर मूल्यांकन जाँच किया
जाँच कर्ता/श्री हस्ताक्षर

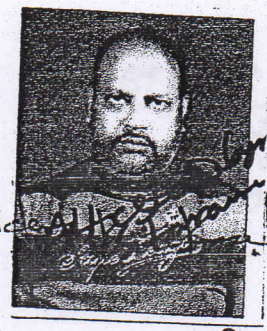

Manoj Kr. Kanti

श्री मनोज कु० क्रान्ति ... वल्द श्री/स्व० सिकन्दर यादव
... रजौन बांका ...
जाति यादव ... व्यवसाय ... /दावेदार
... देवघर ... परगना
... 115 ... 2018 ... मौजा
... कल्पना देवी ... के द्वारा
ता० 20/2/2019 ... 10 बजे
(समय) ...

20.2.19

... का हस्ताक्षर ... निबंधक पदा० का हस्ताक्षर

जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
देवघर का मुहर

क्रेता :—1.श्री नन्दन कुमार पित्रा श्री मुकेश कुमार सिंह।
2.श्रीमती नुतन कुमारी पिता अभिमन्यु प्रसाद राय, पति श्री नन्दन कुमार।
जाति भुमिहार ब्राहमण, पेशा न0 1 नौकरी, न0 2 गृहस्वामीनी, साकिनान ग्राम सबैजोर, थाना सारठ, जिला देवघर, वर्तमान साकिन शहीद आश्रम रोड देवघर, थाना, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य—झारखण्ड, राष्ट्रीयता—भारतीय।
आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार :—बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :—कुल 10,60,000/—दस लाख साठ हजार रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :—निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, हाल थाना कुण्डा, शामिल मौजा करहनीबाद न0 584 के अन्दर कामत सत्व की जमीन, अन्दर जमाबंदी न0 37, जो गत गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट के पर्चा/खातियान स्लीप में कामत मोकररीदार, देवेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय के नाम से कामत दर्ज है।

उपर्युक्त देवेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय (चटर्जी) दयाभाग स्कूल ऑफ हिन्दू लॉ से शासित अपने कुल सम्पत्तियों पर ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए जनवरी सन 1941 ईस्वी में अपने पीछे पॉच पुत्रगण क्रमशः भोलानाथ चटर्जी, सत्यकिंकर चटर्जी, विजयपद चटर्जी, अभयपद चटर्जी और हरिसाधन चटर्जी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये, जो उक्त सभी पॉचों भाई उक्त स्वर्गीय देवेन्द्र नाथ चटर्जी के कुल सम्पत्ति में 1/5 भाग करके मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त भोलानाथ चटर्जी दिनांक 27/05/1956 ईस्वी में अपने पीछे विधवा पत्नी सरसीवाला देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। उपर्युक्त सरसीवाला देवी भी दिनांक 09/11/1956 ईस्वी में अपने पीछे एकमात्र पुत्र उपेन्द्र नाथ चटर्जी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। उपर्युक्त सत्यकिंकर चटर्जी मार्च सन् 1954 ईस्वी में अपने पीछे एकमात्र पुत्र ज्योर्तिमय चटर्जी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

दिनांक 17/01/1969 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बंटवारानामा दलील दलील पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 03, पृष्ठ संख्या 310 से 326 में निबंधित जिसकी संख्या 237 वर्ष 1969 ईस्वी के द्वारा, उपर्युक्त उपेन्द्र नाथ चटर्जी–प्रथम पक्ष, ज्योर्तिमय चटर्जी–द्वितीय पक्ष, अभयपद चटर्जी–तृतीय पक्ष, हरिसाधन चटर्जी–चतुर्थ पक्ष व विजयपद चटर्जी–पंचम पक्ष के बीच में इजमाल सम्पत्तियों का बंटवारा हुआ, उक्त बंटवारानामा में प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ (दो एकड़ चार डिसमिल) को शामिल नहीं किया गया जो उपर्युक्त पॉचों पक्षों का इजमाल रहा।

उपर्युक्त उपेन्द्र नाथ चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त ज्योर्तिमय चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त अभय पद चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार रहते हुए स्वर्गवास कर जाने पर उनके दो पुत्र कमशः कनक कुमार चटर्जी, रजत कुमार चटर्जी व एकमात्र पुत्री पृथा बनर्जी उक्त सम्पत्ति के मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त हरिसाधन चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार रहते हुए स्वर्गवास कर जाने पर उनकी विधवा पत्नी लक्ष्मीरानी चटर्जी, चार पुत्रगण कमशः विश्वनाथ चटर्जी, शेखर चटर्जी, गौराचान्द चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी तथा दो पुत्री कमशः श्रीमती निवेदिता भटटाचार्य, श्रीमती मौसमी बनर्जी मालिक व दखलकार हुए। उपर्युक्त सोमनाथ चटर्जी के स्वर्गवास कर जाने पर उनकी पत्नी पापिया चटर्जी तथा दो पुत्र अभिजीत चटर्जी व शुभम चटर्जी मालिक व दखलकार हुए। उपर्युक्त लक्ष्मीरानी चटर्जी भी स्वर्गवास कर गयी। इस तरह उपर्युक्त विश्वनाथ चटर्जी, शेखर चटर्जी, गौराचान्द चटर्जी, पापिया चटर्जी, अभिजीत चटर्जी, शुभम चटर्जी श्रीमती निवेदिता भटटाचार्य व श्रीमती मौसमी बनर्जी उक्त सम्पत्ति रकवा 40.80 डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार हुए।

दिनांक 17/01/1969 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बंटवारानामा दलील दलील पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 03, पृष्ठ संख्या 310 से 326 में निबंधित जिसकी संख्या 237 वर्ष 1969 ईस्वी के द्वारा, उपर्युक्त उपेन्द्र नाथ चटर्जी–प्रथम पक्ष, ज्योर्तिमय चटर्जी–द्वितीय पक्ष, अभयपद चटर्जी–तृतीय पक्ष, हरिसाधन चटर्जी–चतुर्थ पक्ष व विजयपद चटर्जी–पंचम पक्ष के बीच में इजमाल सम्पत्तियों का बंटवारा हुआ, उक्त बंटवारानामा में प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ (दो एकड़ चार डिसमिल) को शामिल नहीं किया गया जो उपर्युक्त पॉचों पक्षों का इजमाल रहा।

उपर्युक्त उपेन्द्र नाथ चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त ज्योर्तिमय चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त अभय पद चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार रहते हुए स्वर्गवास कर जाने पर उनके दो पुत्र कमशः कनक कुमार चटर्जी, रजत कुमार चटर्जी व एकमात्र पुत्री पृथा बनर्जी उक्त सम्पत्ति के मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त हरिसाधन चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार रहते हुए स्वर्गवास कर जाने पर उनकी विधवा पत्नी लक्ष्मीरानी चटर्जी, चार पुत्रगण कमशः विश्वनाथ चटर्जी, शेखर चटर्जी, गौराचान्द चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी तथा दो पुत्री कमशः श्रीमती निवेदिता भटटाचार्य, श्रीमती मौसमी बनर्जी मालिक व दखलकार हुए। उपर्युक्त सोमनाथ चटर्जी के स्वर्गवास कर जाने पर उनकी पत्नी पापिया चटर्जी तथा दो पुत्र अभिजीत चटर्जी व शुभम चटर्जी मालिक व दखलकार हुए। उपर्युक्त लक्ष्मीरानी चटर्जी भी स्वर्गवास कर गयी। इस तरह उपर्युक्त विश्वनाथ चटर्जी, शेखर चटर्जी, गौराचान्द चटर्जी, पापिया चटर्जी, अभिजीत चटर्जी, शुभम चटर्जी श्रीमती निवेदिता भटटाचार्य व श्रीमती मौसमी बनर्जी उक्त सम्पत्ति रकवा 40.80 डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त विजयपद चटर्जी उक्त प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ के अन्दर अपने 1/5 अंश यानि रकवा 40.80 (चालीस दशमलव अस्सी) डिसमिल के इजमाल रूप में मालिक व दखलकार रहते हुए स्वर्गवास कर जाने पर उनके दो पुत्र कमशः निर्मल कुमार चटर्जी, पुर्णेन्दु नारायण चटर्जी, तथा दो पुत्री श्रीमती शीला मुखर्जी व कृष्णा मुखर्जी उक्त सम्पत्ति के इजमाल रूप में दखलकार हुए।

इस तरह उपर्युक्त उपेन्द्र नाथ चटर्जी, ज्योर्तिमय चटर्जी, कनक कुमार चटर्जी, रजत कुमार चटर्जी, श्रीमती पृथा बनर्जी, विश्वनाथ चटर्जी, शेखर चटर्जी, गौराचान्द चटर्जी, पापिया चटर्जी, अभिजीत चटर्जी, शुभम चटर्जी श्रीमती निवेदिता भटटाचार्य, श्रीमती मौसमी बनर्जी, निर्मल कुमार चटर्जी, पुर्णेन्दु नारायण चटर्जी, श्रीमती शीला मुखर्जी, श्रीमती कृष्णा मुखर्जी, उक्त सम्पत्ति सेटलमेन्ट प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़ पर निर्विवाद रूप से इजमाल रूप में भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त उपेन्द्र नाथ चटर्जी, ज्योर्तिमय चटर्जी वजरिये आम मोख्तारान शंकर चटर्जी व समीर चटर्जी, कनक कुमार चटर्जी, रजत कुमार बनर्जी, श्रीमती पृथा बनर्जी, उपर्युक्त रजत कुमार चटर्जी वजरिये आम मोख्तार कार्तिक नारायण नरौने, विश्वनाथ चटर्जी, शेखर चटर्जी, गौराचान्द चटर्जी, पापिया चटर्जी, अभिजीत चटर्जी, शुभम चटर्जी नाबालिग तरफ गार्जीयन स्वाभाविक माता पापिया चटर्जी, श्रीमती निवेदिता भटटाचार्य, श्रीमती मौसमी बनर्जी, निर्मल कुमार चटर्जी, पुर्णेन्दु नारायण चटर्जी, श्रीमती शीला मुखर्जी व श्रीमती कृष्णा मुखर्जी ने दिनांक 19/07/2005 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 54 वास्ते 2005, पृष्ठ संख्या 85 से 110 में निबंधित जिसकी संख्या 2272 वर्ष 2005 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति सेटलमेन्ट प्लाट न0 247 रकवा 2.04 एकड़, अन्दर जमाबंदी न0 37, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकुक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता के पास बिक्री कर दिया, बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपर्युक्त मैं बिक्रेता उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में अपना नाम दर्ज़ करवाकर जामबंदी न0 37 अंश के बावत सालाना मालगुजारी आदाय करती हुई व उसपर बहैसियत पूर्ण मालकिन निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी रहती हुई इसके पहले कुछ अंश को बिक्री भी कर चुकी हूँ, मालगुजारी रसीद की छायाप्रति संलग्न है।

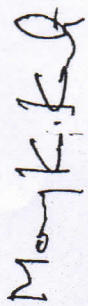

उपायुक्त देवघर के ज्ञापांक 356/विधि0, देवघर, दिनांक 16/12/2016 की छायाप्रति संलग्न।

उक्त कामत सत्व की जमीन जो Land Reform's Act की धारा 6 के अनुसार हर तरह से हस्तान्तरण योग्य है, जिसकी पुष्टि पटना हाईकोर्ट के मुकदमा C.W.J.C. में गत तारीख 07/05/1969 के फैसले P.L.J.R.-373 के द्वारा होती है।

सचिव सह–निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक 1396 दिनांक 19/09/1995 के अनुसार कामत संत्व की जमीन हस्तान्तरणीय योग्य है।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी खर्च के लिये रूपये की सख्त जरूरत है, इसलिये रकवा 1,400 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा ज़ाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 10,60,000/–दस लाख साठ हजार रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 10,60,000/–दस लाख साठ रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववान व दखलकार होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण कम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करते रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति की मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालकिन हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय–संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगी।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे दिनांक 20.02.2019

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं0 584, जिला, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, अंचल देवघर, हाल थाना कुण्डा, शामिल मौजा करहनीबाद के अन्दर कामत सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 247 का अंश, रकवा 1,400 वर्गफीट (एक हजार चार सौ वर्गफीट) यानि 3.213 डिसमिल परती जमीन, अन्दर सेटलमेन्ट जमाबंदी न0 37, राजस्व विभाग के पंजी II का जमाबंदी न0 37 अंश, देवघर नगर निगम वार्ड न0 पुराना 33, नया 27, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किया जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–इसी प्लाट का अंश बिकेता की जमीन।
इधर की माप 48'–03'' फीट।

दक्षिण :–इसी प्लाट का अंश बिकेता की जमीन।
इधर की माप 46'–03'' फीट।

पुरब :–प्लाट न0 238
इधर की माप 29'–07½'' फीट।

पश्चिम :–15'–00'' फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।
इधर की माप 29'–07½'' फीट।

घोषणा :–उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है। उक्त बिकीत सम्पत्ति सी. बी. आई जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही की भागी होउँगी।

गवाहान

सतीश कुमार सिंह
पिता - श्री जनार्दन प्र० सिंह
सिहोडीह गिरिडीह
7739453749

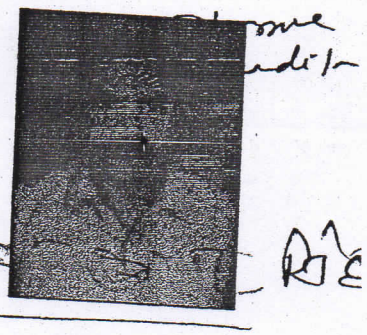

रकम प्राप्ति रसीद
(Memo of Consideration)

1. Cheque No. 154457 dated 11.02.2019
Bank of Baroda of Rs ——— 10,59,800.00
2. By Cash of Rs ——— 200.00

Total 10,60,000.00

Manoj K. Kumar

बिक्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान–

क्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान–

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूपकर्ता सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 20.02.2019
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिया गया है सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 20.02.2019
अनुज्ञप्ति संख्या
37(5) 1982

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- KARHANIBAD NO- 584 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO-27 J. B. NO-37 PART OF PLOT NO- 247 AREA:-1400sqft. SHOWN IN RED COLOUR BELONGS TO Smt. KALPNA DEVI W/O SRI SANJAY PRASAD YADAV & NOW SOLD TO SRI NANDAN KUMAR SINGH S/O SRI MUKESH KUMAR SINGH & Smt. NUTAN KUMARI W/O SRI NANDAN KUMAR SINGH OF VILL- SABAIJORE , P.S- SARATH, DIST- DEOGHAR.

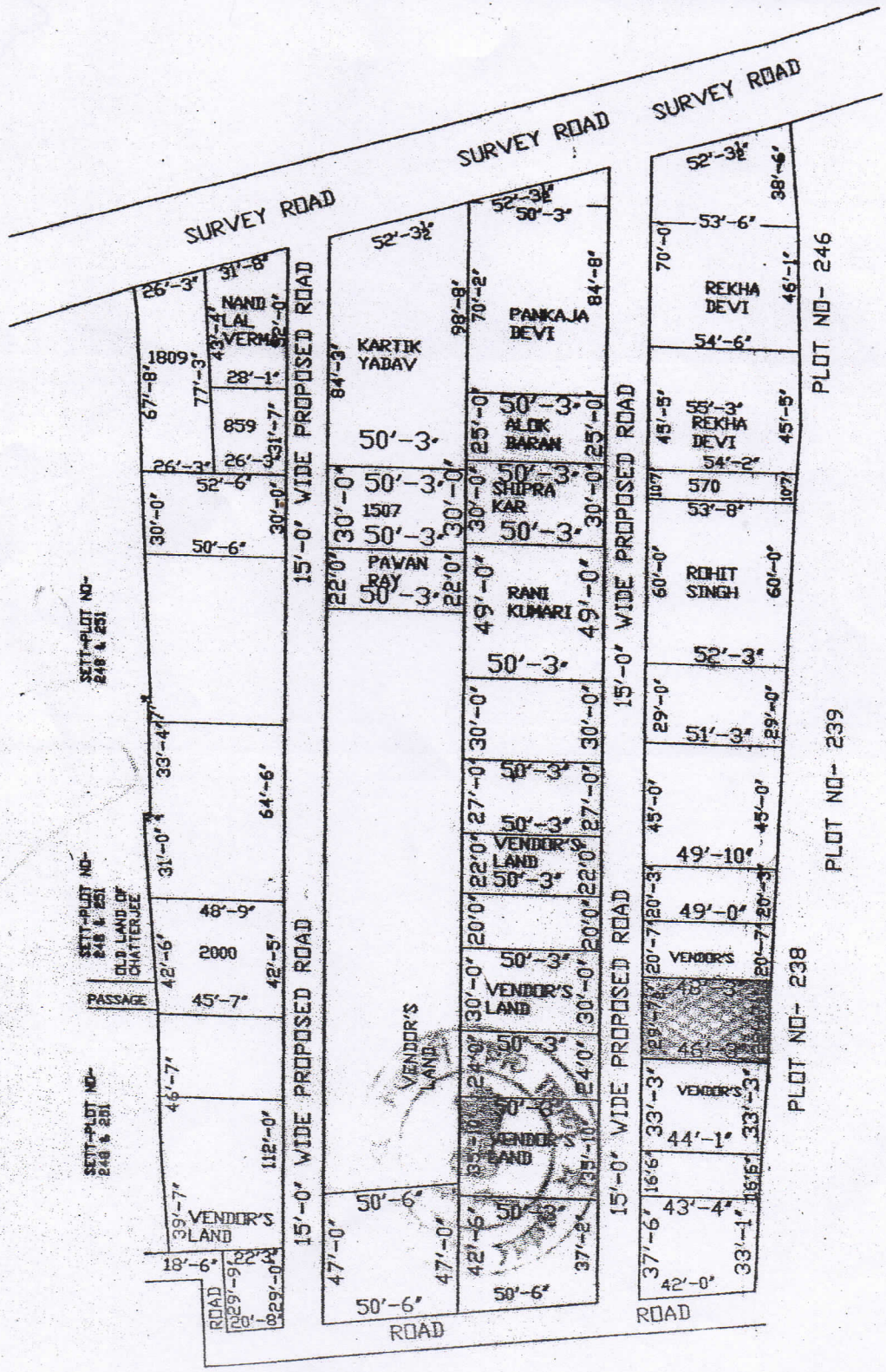

Traced By
M.K.K.
28/11/2019